न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 281 / 2014
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2012 / 00073

वादी

हरजी पुत्र रुगनाथ, कौम–भाट,
निवासी–किलवा, तहसील–सांचौर
जिला–जालोर (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

1 मृतवफी हाजाराम पुत्र रवा, कौम मेघवंशी, निवासी–किलवा के कायम मुकाम व वारिस
अ–भूपाराम पुत्र हाजाराम
ब–मलाराम पुत्र हाजाराम
2 लालाराम पुत्र रवा
3 वीरनाराम पुत्र रवा
4 मूलाराम पुत्र रवा
5 जूंजाराम पुत्र रवा
जातियान–मेघवंशी, साकिनान्–किलवा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
6 हलू बैवा रवा, कौम–मेघवंशी, साकिन–किलवा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
7 सहायक अभियन्ता, मूल्य नियंत्रण अधिकारी कृते कमाण्डर 45 सीमा सड़क मुख्य कार्यालय बाड़मेर
8 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

दावा बाबत खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 आर.एल.आर.एक्ट

तारीख रजु :– 26.06.2012

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण एकपक्षीय।

:– निर्णय :– दिनांक :– 04.08.2025

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा किलवा में पुराना खेत खसरा संख्या 305 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी की पैतृक संपति की चली आ रही है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 431 रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431 / 881 रकबा 0.04 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.59 हैक्टैयर भूमि वादी की कदीमी कब्जासुदा [illegible] है। पुराना खसरा संख्या 305 वर्तमान खसरा संख्या 431 एवं 431 / 881 [illegible] में है जिसका नक्शा प्रदर्श 'अ' पेश किया जा रहा है प्रदर्श अ नक्शा अनुसार भूमि पूरी की पूरी मार्क 'बी', 'सी', 'डी' वादी की कदीमी कब्जा काश्त की थी जो आज भी मौके पर नक्शा अनुसार मार्क 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' भूमि वादी के कब्जे एवं काश्त में है किन्तु द्वितीय सेटलमेंट विभाग में सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी की भूमि 'ए', 'बी',

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

'सी', 'डी' में से नवसृजित खसरा नंबर 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर नक्शे मे तरमीम कर वादी के कब्जे काश्त की भूमि प्रदर्श नक्शा 'अ' में से काटकर खसरा नंबर 431/881 तूतक तूतक लाइन कर रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी गई जो गलत है। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई भूमि खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के खाते में डाली जिसका नक्शा प्रदर्श 'ब' प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें मार्क ई,एफ, सी रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण की कतई नहीं थी। वादी के कब्जे एवं काश्त में चली आ रही भूमि ई, एफ, सी रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा संख्या 431/881 प्रतिवादीगण के नार्म दर्ज थी उसका किसी सक्षम अदालत का आदेश सेटलमेंट अधिकारी के पास नहीं था। सेटलमेंट अधिकारियों ने कानून को हाथ में लेकर प्रदर्श नक्शा 'ब' में वर्णित मार्क 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' भूमि पुराना खसरा संख्या 305 अनुसार वादी की ही थी तथा उक्त आराजी की मैं वादी खातेदारी पाने का अधिकारी हूं तथा वादी की पूर्व की भूमि प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार मार्क 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' दर्ज करवाने का हकदार हूं। प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानियां धमकियां दी कि भूमि किसी को बेचान कर देने पर वाद पेश करने की नौबत पैदा हुई अन्त में वादी ने वाद पेश कर इस्तदुआ चाही कि मौजा किलवा का पुराना खेत खसरा संख्या 305 से नवसृजित खसरा संख्या 431 एवं 431/881 जुमले रकबा 1.59 हैक्टेयर भूमि वादी के कब्जे कश्त की होने से प्रदर्श नक्शा 'ब' में वर्णित मार्क ई,एफ, सी खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादी के नाम की जावें तथा उक्त आराजी पर वादी का काश्त कब्जा होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का हकदार है तथा नवीन खेत खसरा संख्या 431/881 प्रदर्श नक्शा 'ब' में वर्णित मार्क ई, एफ, सी तूतक तूतक लाइन दर्शाकर ट्रैश नक्शे में अंकित किया है। वह नक्शे से हटाई जाकर वादी के पूर्व नक्शा प्रदर्श 'अ' अनुसार भूमि की जावें इस आशय की रिकॉर्ड शुद्व ट्रैस नक्शे में दर्ज करवाने का वादी हकदार है।

वादी का वाद कार्यालय टिप्पणी कर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बाद सम्मन तामिल प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विनम्र विवाधक कायम किए गए :–

1. आया मौजा किलवा के पुराना खेत खसरा संख्या 305 नवसृजित खसरा संख्या 431 व 431/881 रकबा क्रमशः 1.55 [illegible] रकबा 1.59 हैक्टेयर भूमि वादी के कब्जे काश्त की होते हुए प्रदर्श नक्शा [illegible] में [illegible] मार्क 'ए' 'बी', 'सी', 'डी' में से मार्क ई,एफ, सी खसरा [illegible] 0.04 हैक्टेयर द्वितीय सेटलमेंट वालों ने गलती से प्रतिवादीगण के खाते में [illegible] उक्त भूमि वादी की होने से खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि वादी खातेदारी घोषणा करवाने का हकदार है। (जिम्मे वादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

2. आया मौजा किलवा के खेत खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखलंदाजी नहीं करने हेतु वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। (जिम्मेवादी)

प्रकरण में वादी की ओर से गवाह वादी हरजी पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 उदराम, पीडब्ल्यू–3 ईसराराम के बयान लेखबद्व करवाए गए वादी ने अपने वाद के समर्थन में पुराना नक्शा प्रदर्श 'अ' ईएक्स 1, प्रदर्श नक्शा 'ब' ईएक्स2 जिसमें मार्क ई, एफ, सी की भूमि वादी की है तथा कब्जा काश्त वादी का है। मिलान क्षैत्रफल ईएक्स 3 व ईएक्स 4, जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 ईएक्स 5 पेश कर प्रदर्शित करवाया तथा प्रतिवादी के खाते में गलत दर्ज की गई भूमि खसरा संख्या 431/881 जिसका नक्शा ईएक्स6 पेश कर प्रदर्शित करवाया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई, विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम किलवा में वादी के खातेदारी का पुराना खेत खसरा संख्या 305 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा आया हुआ है जिसका नक्शा प्रदर्श 'अ' अनुसार आया हुआ है किन्तु उक्त पुराने खसरा नंबर से नवसृजित खेत खसरा संख्या 431 व 431/881 जुमले रकबा 1.59 हैक्टेयर नवसृजित हुए जिसमें प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार नक्शा तैयार न कर द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रदर्श नक्शा 'ब' अनुसार अपने अधिकार से परे जाकर प्रदर्श नक्शा 'ब' में ई, एफ, सी खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर तूतक तूतक लाइन दर्शाकर उक्त खसरा नंबर प्रतिवादी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई जबकि वादी की उक्त भूमि प्रदर्श नक्शा 'अ' में मार्क 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' है तथा पुराना नक्शा भी मार्क 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' अनुसार बना हुआ था परन्तु द्वितीय सेटलमेंट विभाग वालों ने कानून से परे जाकर वादी की रकबा 0.04 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज कर नक्शे की आकृति में परिवर्तन किया है जिससे दुरूस्त किया जाकर खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जावें। प्रकरण में तनकी वाइज निर्णय निम्न प्रकार है :–

1. <u>तनकी संख्या 01 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीग पर होने से वादी ने गवाह पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू2, पीडब्ल्यू3 पेश कर अपने वाद के समर्थन में बयान कलमबद्व करवाए उक्त गवाहों ने सशपथ बयानों में खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि वादी की होना तथा उस पर वादी का लगातार काश्त कब्जा होना जाहिर किया तथा वादी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि उक्त भूमि पूर्व नक्शा प्रदर्श 'अ' अनुसार मार्क 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' अनुसार था किन्तु द्वितीय सेटलमेंट विभाग वालों ने प्रदर्श नक्शा 'ब' में मार्क ई, एफ, सी की भूमि 0.04 हैक्टेयर तूतक तूतक लाईन दर्शाकर नक्शे की आकृति में परिवर्तन कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जो गलत है। वादी ने ईएक्स 1 नक्शा प्रदर्श 'अ', ईएक्स 2 नक्शा प्रदर्श 'ब' मिलान क्षैत्रफल ईएक्स 3 व ईएक्स 4, जमाबंदी ईएक्स 5 तथा नया नक्शा ईएक्स 6 प्रदर्शित करवाया प्रदर्श नक्शा अ' में मार्क 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' व प्रदर्श नक्शा 'ब' में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

मार्क 'ए', 'वी', 'सी', 'डी' तथा मार्क ई, एफ, सी के नक्शे की आकृति में स्पष्टतया भिन्नता प्रतीत होती है पूर्व का पुराना नक्शा की आकृति लंब चोरस होना प्रतीता होता है। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नक्शे की आकृति में परिवर्तन कर वादी की भूमि खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रतिवादी के खाते में दर्ज होना स्पष्ट प्रतीत है तथा हस्तगत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का वाद का खण्डन नहीं किया गया है इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रदर्श नक्शा 'ब' में मार्क ई,एफ,सी भूमि खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि खसरा संख्या पुराना 305 का ही भू–भाग होना प्रतीता होता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन से तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2. **तनकी संख्या 02 :–** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से वादी एवं वादी के गवाहान् ने सशपथ बयानों में बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी बेचान करने पर आमदा है जबकि वादग्रस्त आराजी पर काश्त कब्जा लगातार वादी का चला आ रहा है तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कोई हित निहित होता तो प्रतिवादी अवश्य न्यायालय में उपस्थित होकर वाद का खण्डन करते किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत वाद में किसी भी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि जो सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा अवैध तरीके से कानून से परे जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी में दर्ज कर देने से प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से उक्त तनकी संख्या 02 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन विश्लेषण से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

मौजा किलवा के खेत खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि ईएक्स 2 प्रदर्श नक्शा 'ब' में मार्क ई, एफ, सी, तूतक तूतक लाइन हटाकर ईएक्स 1 प्रदर्श नक्शा 'अ' के अनुसार वर्तमान नक्शे की आकृति की दुरूस्ती करें तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के खेत खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टैयर की भूमि में दखलदांजी नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करें तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20,रूल्स 6–7,जाब्ता दीवानी)

Civil Procedure Code, Appendix "D-"1

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 281 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2012 / 00073

वादी	प्रतिवादीगण
हरजी पुत्र रूगनाथ, कौम–भाट, निवासी–किलवा, तहसील–सांचौर जिला–जालोर (राजस्थान)	1 मृतवफी हाजाराम पुत्र रवा, कौम मेघवंशी, निवासी–किलवा के कायम मुकाम व वारिस अ–भूपाराम पुत्र हाजाराम ब–मलाराम पुत्र हाजाराम 2 लालाराम पुत्र रवा 3 वीरमाराम पुत्र रवा 4 मूलाराम पुत्र रवा 5 जूंजाराम पुत्र रवा जातियान–मेघवंशी, साकिनान्–किलवा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर 6 हलू बैवा रवा, कौम–मेघवंशी, साकिन–किलवा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर 7 सहायक अभियन्ता, मूल्य नियंत्रण अधिकारी कृते कमाण्डर 45 सीमा सड़क मुख्य कार्यालय बाड़मेर 8 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

<u>दावा बाबत खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 आर.एल.आर.एक्ट</u>

<u>तारीख रजु :– 26.06.2012</u>

मौजा किलवा के [illegible] रकबा 0.04 हैक्टेयर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है तथा तहसील[illegible] सां[illegible] को आदेशित किया जाता है कि ईएक्स 2 प्रदर्श नक्शा 'ब' में म[illegible] लाइन हटाकर ईएक्स 1 प्रदर्श नक्शा 'अ' के अनुसार वर्तमान नक्शे की आकृति [illegible] दुरूस्ती करें तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के खेत खसरा संख्या 431 / 881 रकबा 0.04 हैक्टैयर की भूमि में दखलदांजी न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करें तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

मौजा–किलवा मुवलिंग बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भरह फीसदी, सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक की अदा कर।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **04.08.2025** को जारी की गई

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
सांचौर, जिला–जालोर

मुदई	रूपया	पै0	मुद्वायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	03	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालात नामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूय	00		महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00		खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00		फीस कमीश्नर	00	00
फीस कमीश्नर	00		बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00		मुतफरीक	00	00
मुतफरिक	00				
मौजाना	04	00	मौजाना	00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
सांचौर, जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:02 IST
Reason: SelfAttested